न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस

राजस्व प्रथम अपील संख्या 29 / 2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. हरसुखराम पुत्र श्री गोपाराम 2. श्रीमती सायरी पत्नि श्री हरसुखराम। छो`नो जाति विश्नाई, निवार खेजडलीकलां तहसील, लूर्ण जिला जोधपुर।		1. श्रीमती विमला धर्मपत्नी श्री अचलाराम, जाति विश्नोई निवासी खेजडलीकलां तहसील लूणी, जिला जोधपुर 2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
दिनांक 23.3.2018, जो उपखण्ड अधिकारी लूणी के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 23 / 2017(32 / 2013) मे पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री लादुराम विश्नोई अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित।
2. श्री बाबुलाल विश्नोई, रेस्पो. संख्या 1 की ओर से उपस्थित
3. रेस्पोडेंट सं. 2 की ओर राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः– 5.3.2019

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम खेजडलीकला तहसील, लूणी के भूमि खसरा संख्या 205 / 2 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा व 10 बिस्वांशी मे से ढाई बीघा भूमि अपीलार्थी के अतिक्रमण मे बताकर कब्जा निर्धारण करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा मूल खसरा संख्या 205 रकबा 64 बीघा 18 बिस्वा पक्षकारों की सामलाती खातेदारी की होना कहते हुए, उसका विभाजन आपसी सहमति से दिनांक 4.9.2012 को कर लेने का कथन किया तथा बंटवाडे मे उक्त खसरों की माठ कायम करना बताया, जिसको दिनांक 25.6.2013 को जे.सी.बी लगाकर अप्रार्थीगण ने खुर्दबुर्द कर देने का तथा नया धोरा प्रार्थिनी की भूमि मे कायम करना बताया। जिसका तहसीलदार से पुनः सीमांकन 6.7.2013

करवाया गया, जिसके आधार पर पत्थरगढी करवाये जाने की इस्तदुआ की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अपीलार्थीगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक उजरदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 205/2 की राजस्व नक्शे मे तरमीम नही है तथा उसका नक्शा आकृति, नाप बनी हुई नही है, जिसका पैमाईश किया जाना सम्भव नही है। जब भूमि का नक्शा उपलब्ध नही है तब मौके के कब्जे के अनुसार सीमा का निर्धारण किये जाने का धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे प्रावधान किया हुआ है। इसके अलावा धारा 111,128 मे कब्जा दिलाने का को प्रावधान नही है, जबकि प्रार्थीनी ने कब्जा निर्धारण किये जाने की इस्तदुआ की है, जो उक्त धारा के तहत नही दी जा सकती है। इस आधार पर धारा 111,128 का प्रार्थना पत्र कानूनी चलने योग्य नही होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नही दिया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक पक्षीय सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 6.7.2013 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दे दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध एक अपील अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष पेश की। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18.12.2014 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2014 को निरस्त कर मामला प्रतिप्रेतषित किये जाने का आदेश कर निर्देशित किया कि दोनों पक्षों की उपस्थिति मे सीमाज्ञान की कार्यवाही कर पुनः विधि सम्मत आदेश पारित किया जावे।

उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे प्रस्तुत की निर्णय दिनांक 20.12.2016 के द्वारा स्वीकार कर माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2014 मे आंशिक संशोधन कर अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर सुनवाई कर उस पर निर्णय करने के आदेश दिये गये। जिस पर विचारण न्यायालय आपत्तियों पर कोई ठोस कारण दिये बिना ही निरस्त करते हुए तथा दोनो पक्षों की मौजूदगी मे पुनः सीमाज्ञान करवाये ही पूर्व मे दिनांक 6.7.1013 को एक पक्षीय मौका फर्द के आधार पर पत्थरगढी पुलिस इमदाद से करवाये जाने का आदेश दे दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष पेश की जो स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश हुई।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अपीलान्ट के अधिवक्ता का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम खेजडलीकला तहसील, लूणी के भूमि खसरा संख्या 205/2 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा व 10 बिस्वांशी मे से ढाई बीघा भूमि अपीलार्थी के अतिक्रमण मे बताकर कब्जा निर्धारण करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थीगण ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक उजरदारी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 205/2 की राजस्व नक्शे मे तरमीम नही है तथा उसका नक्शा आकृति, नाप बनी हुई नही है। जिसका पैमाईश किया जाना सम्भव नही है। जब भूमि का नक्शा उपलब्ध नही है तब मौके के कब्जे के अनुसार सीमा का निर्धारण किये जाने का धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम मे प्रावधान किया हुआ है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश नही दिया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एक पक्षीय सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 6.7.2013 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दे दिया। जिसकी प्रथम अपील अति. सम्भागीय आयुक्त के समक्ष एवं उसके पश्चात माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की गयी। दोनो अपीलों के निर्णयों मे दिये गये निर्देशों की पालना नही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की अवहेलना करने की श्रेणी मे आता है। इस प्रकार का आदेश विधि विरूद्ध होने निरस्त योग्य है।

यह है कि रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र मे कब्जा निर्धारण किये जाने की इस्तदुआ की है, जो उक्त धारा के तहत नही दी जा सकती है। कब्जे का निर्धारण केवल नियमित वाद मे ही किया जा सकता है।

यह है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर ने अपने निर्णय स्पष्ट अंकित किया है कि अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय की पालना करने के साथ ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां यदि पत्रावली पर उपलब्ध नही है, तो पुनः प्राप्त कर दोनों पक्षों की सुनवाई का विधि सम्मत आदेश पारित करें। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने दोनों आदेशों मे दिये गये निर्णयों को नजरअंदाज कर पूर्व मे दिनांक 6.7.2013 की गयी सीमाज्ञान रिपोर्ट, जो कि खारिज कर दी गयी थी, उसी को ही आधार मान कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जबकि पुनः दोनों पक्षों की मौजूदगी मे सीमाज्ञान के आदेश दिये

गये थे। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं आदेशों की अवहेलना की श्रेणी मे होने से निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

उपस्थित **रेस्पोडेन्ट** के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम खेजडलीकला तहसील, लूणी के भूमि खसरा संख्या 205/2 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा व 10 बिस्वांशी मे से ढाई बीघा भूमि अपीलार्थी के अतिक्रमण मे बताकर कब्जा निधारण करने हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान उपखण्ड अधिकारी, लूणी के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को सीमांकन के आदेश दिये गये। दिनांक 6.7.2013 को सीमांकन रिपार्ट तैयार की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश दिनांक 3.6.2014 को पारित किया।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर मे प्रथम अपील तथा उसके पश्चात माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी। राजस्व मण्डल द्वारा अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर का आदेश यथावत रखते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लूणी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया। विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर पूर्व मे दिनांक 6.7.2013 की मौका फर्द का सही मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 23.3.2018 के द्वारा रेस्पोडेन्ट के खेत की पत्थरगढी के आदेश दिये गये। तहसीलदार लूणी द्वारा निर्णय दिनांक 23.3.2018 की पालना मे दिनांक 30.1.2019 को मौका फर्द तैयार कर उक्तानुसार दिनांक 8.2.2019 को जरीब चलाकर नाप किया गया। जिस पर अपीलान्टस द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। इस प्रकार पर अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। अतः अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अति. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपने निर्णय मे दिनांक 6.7.2013 को गयी समींकन रिपोर्ट को विधि सम्मत नही मानते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लूणी को प्रति प्रेषित कर पुनः दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर मे द्वितीय अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों के निस्तारण के संबंध मे अति. सम्भागीाय आयुक्त ने कोई

निर्देश नही दिये है, इसलिए आपत्तियों के निरस्तारण के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4.11.2016 मे न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर का निर्णय दिनांक 18.12.2014 को यथावत रखते हुए विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि " वे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र पत्रावली मे है, तो दोनों पक्षों की सुनवाई कर इसको निर्णित करें, यदि आपत्ति प्रार्थना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध नही है तो पुनः आपत्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त कर, उस पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर, साथ ही धारा 111, 128 आर.एल.आर.ए की पूर्ण पालना करते हुए पुनः गुणावगुण पर दो माह मे निर्णय पारित करें। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों आदेशों की पूर्ण पालना नही किया जाना प्रमाणित है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 6.7.2013 की मौका फर्द, जो एक पक्षीय एवं खसरा संख्या 205 से संबंधित होने के कारण उसे विधि सम्मत नही माना है, उसी रिपोर्ट को आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो विधि के सिद्धान्तों के विपरित एवं उच्चतर न्यायालयों के आदेश की अवहेलना की श्रेणी मे आता है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे पुनः दोनों पक्षों की मौजूदगी मे सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त कर, उस पर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिए था। जिसका अभाव अपीलाधीन आदेश मे पाया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.3.2018 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लूणी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः दोनों पक्षों की मौजूदगी मे सीमांकन करवाकर, उस पर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर 111,128 आरएलआरए के प्रावधानों का पूर्ण पालन कर विधिवत आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 5.3.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर,जोधपुर